वर्ष 4, अंक 73 रु. 1/-

राष्ट्र महिला

नवम्बर 2005 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

राष्ट्रीय महिला आयोग बलात्कारियों को, विशेष रूप से ऐसे समय पर जब कि समाज का एक बड़ा वर्ग बलात्कारियों को मृत्यु दण्ड देने की मांग कर रहा है, अपर्याप्त सज़ा दिये जाने पर काफी चिन्तित है।

हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने बलात्कार करने के दोषी पाये गये व्यक्तियों को, जिनको सामान्यतया 7 से 10 वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा मिलनी चाहिए, कुछ महीने से लेकर कुछ वर्ष की सज़ा देने की बाबत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा दिये गये 20 निर्णयों को रद्द करके उचित ही किया है।

दूसरी ओर, उच्चतम न्यायालय ने न्यायालयों से आग्रह किया है कि वे बलात्कार के मामलों को हल्के ढंग से न निपटायें और ऐसे घृणित अपराधों के मामले में कम सज़ा देने की बाबत उन्हें जो विवेकाधिकार दिये गये हैं उनका वे अंधाधुंध ढ़ंग से प्रयोग न करें।

उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि न्यायालयों को धारा 376(1) और 376(2) के तहत जो अधिकार दिया गया है, उसका उन्हें बहुत कम और केवल ऐसे मामलों में प्रयोग करना चाहिए जिनमें विशेष तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सज़ा कम करना उचित हो। दाण्डिक सुनवाई का लम्बी अवधि तक चलना और पीड़ितों से विवाह करने का प्रस्ताव संगत कारण नहीं हैं और अपराधी की आयु भी कोई पर्याप्त कारण नहीं होना चाहिए।

इसके प्रतिकूल न्यायालयों को समाज और

चर्चा में — बलात्कार सम्बन्धी निर्णयों का अपराधियों के अनुकूल होना

मानवीय गरिमा के प्रति घृणित अपराधों के लिए सज़ा देते समय अच्छी तरह सोच-विचार करना चाहिए। चूंकि जब एक महिला का बलात्कार होता है तो इससे उसे केवल शारीरिक आघात ही नहीं होता अपितु लज्जा की गहरी संवेदना भी होती है।

अतः न्यायालयों को पीड़ित की दुर्दशा और सामाजिक कलंक का भी ध्यान रखना चाहिए जिससे एक सामान्य जीवन की सभी संभावनाएं ही समाप्त हो सकती हैं। सज़ा अपराध की गम्भीरता के अनुसार होनी चाहिए और इसे अपराध रोकने का काम करना चाहिए। उचित सजा न देने से पीड़ित या उसके सम्बन्धी बदला लेने के लिए उत्तेजित हो सकते हैं और एक निष्पक्ष दाण्डिक न्याय प्रणाली द्वारा इसे ही रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के अनुसार उदार दृष्टिकोण अपना कर कम सज़ा देना या घृणित अपराधों की बाबत काफी समय व्यतीत हो जाने के कारण काफी सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना परिणाम की दृष्टि से लम्बी अवधि में अलाभप्रद होगा और समाज के हित के प्रतिकूल होगा।

कानूनी जागरुकता कार्यक्रम

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि महिलाओं और लड़कियों को उनके अधिकारों की जानकारी देना आवश्यक है, आयोग महिलाओं को न्याय प्रक्रिया के विभिन्न अंगों से अवगत कराने, उपलब्ध विभिन्न साधनों का शिकायतों को दूर करने के लिए उपयोग करने तथा जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण एवं लोक अदालत की भूमिका जानने के लिए देश-व्यापी कानूनी जागरुकता कार्यक्रम आयोजित करता है।

जागरुकता कार्यक्रम सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत ऐसे गैर-सरकारी संगठनों/स्वयंसेवी संस्थाओं/शिक्षा संस्थाओं के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है जिनको इस क्षेत्र में काम करने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो।

ऐसा कार्यक्रम तीन दिन का होना चाहिए और कार्यक्रम/शिविर में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या कम से कम 60 होनी चाहिए। आयोग 20,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता देता है। पात्र संगठन निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं :

पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति; संस्था ज्ञापन तथा नियमावली की प्रमाणित प्रति; पिछले तीन वर्षों के लेखाओं के संपरीक्षित विवरण की प्रमाणित प्रति; नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट; कार्यक्रम ठीक ढंग से चलाने का आश्वासन देने वाला दस्तावेज और कार्यक्रम आयोजित न किये जाने की स्थिति में आयोग द्वारा दी गई अग्रिम राशि/चैक लौटाने का आश्वासन देने वाला दस्तावेज।

कानूनी जागरुकता कार्यक्रम के आयोजन में रुचि रखने वाले गैर-सरकारी संगठन आयोग से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें भरकर आयोग के पास भेज सकते हैं।

वेश्यावृत्ति विरोधी कानूनों को बदला जायेगा

वेश्याओं के साथ पकड़े गये किसी व्यक्ति के लिए कारावास और जुर्माने का प्रावधान करने और लुभाने को एक अपराध बनाने वाले प्रावधानों को खत्म करने के लिए सरकार वेश्यावृत्ति विरोधी कानूनों में आमूल परिवर्तन करने का इरादा रखती है।

महिला और बाल विकास विभाग द्वारा प्रस्तावित संशोधन में, जो मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लिए पड़ा है, संरक्षकों के लिए तीन महीने के कारावास और 20,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।

विभाग ने अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धारा 8 और 20 को भी, जिनके अनुसार लुभाना एक दण्डनीय अपराध है, समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है। प्रस्तावित परिवर्तन को इस आधार पर उचित ठहराया जा रहा है कि अधिकांश यौन कर्मकार परिस्थितियों के शिकार होते हैं। इस धारणा के कारण भी कि अधिकांश को बाध्य होकर वेश्यावृत्ति में प्रवेश करना पड़ता है, विभाग को अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धारा 20 को समाप्त करना पड़ा है जिसमें वेश्याओं के निष्कासन का प्रावधान है।

तथापि, देहव्यापारियों के लिए सज़ा अधिक कठोर बनाने का प्रस्ताव है। जो दोषी पाये जायेंगे उन्हें 10 वर्ष तक की सज़ा दी जाएगी और एक लाख रुपये का जुर्माना किया जाएगा।

बलात्कार कानूनों की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की कार्यशाला

राष्टीय महिला आयोग ने हाल ही में नई दिल्ली में 'बलात्कार और यौन-प्रहार सम्बन्धी कानूनों की समीक्षा' विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में केन्द्र को यौन प्रहार, बलात्कार और युवतियों से छेड़छाड़ सम्बन्धी कानूनों की पुनः समीक्षा करने के लिए दिये जाने वाले सुझावों पर विचार किया गया।

इस विधेयक में बलात्कार की परिभाषा का विस्तार करने और इसमें बलात मौखिक और गुदा-यौन को सम्मिलित करके इसे व्यापक बनाने का प्रस्ताव है। विधेयक में बलात्कार शब्द के स्थान पर यौन प्रहार शब्द रखने का भी प्रस्ताव है। विधेयक में एक पुरुष द्वारा एक महिला पर किये गये यौन प्रहार की परिभाषा दी गई है। तथापि एक पुरुष या एक महिला द्वारा किया गया बाल यौन प्रहार नई परिभाषा के अन्तर्गत आता है।

विधेयक में, सहमति से सम्बन्धित दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 377 में भी संशोधन करने का प्रस्ताव है और यह कहा गया है कि खामोशी तथा विरोध न करने का अर्थ सहमति नहीं लगाया जा सकता। इसके साथ इसमें सहमति की कानूनी आयु बढ़ाकर 18 वर्ष की गई है।

हिरासत में बलात्कार की सूची में नयी किस्मों के यौन प्रहार को सम्मिलित करने के लिए विधेयक में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 376 में संशोधन करने के सुझाव भी दिये गये हैं जो इस प्रकार हैं: 16 वर्ष से कम आयु के अवयस्क पर यौन प्रहार; एक गर्भवती महिला पर यौन प्रहार; मानसिक या शारीरिक निर्योग्यता से पीड़ित व्यक्ति पर यौन प्रहार। आर्थिक, सामाजिक या राजनैतिक प्रभुत्व वाले व्यक्ति द्वारा यौन प्रहार को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। 1983 के संशोधन के अनुसार इस वर्ग के लिए न्यूनतम सज़ा 10 वर्ष है। पुलिस को जानबूझकर

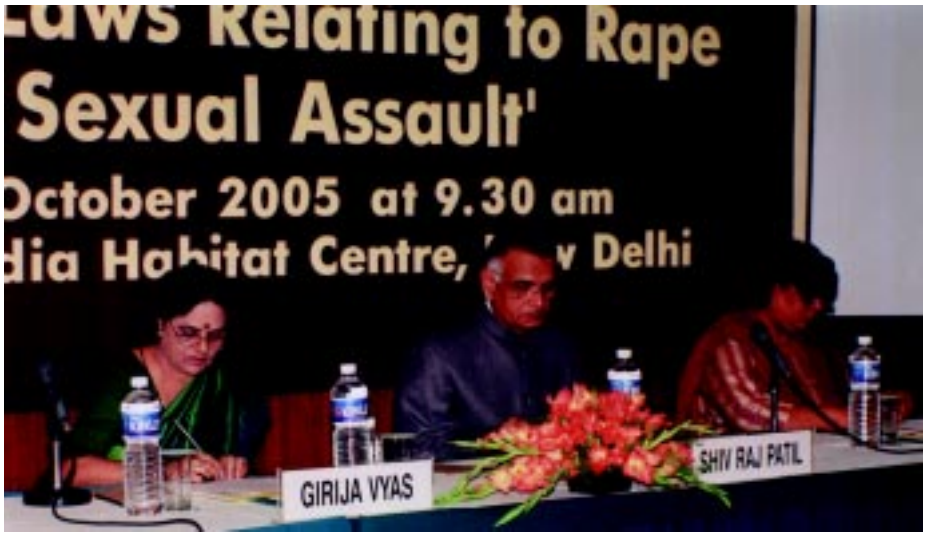

बलात्कार और यौन-प्रहार सम्बन्धी कानूनों की पुनरीक्षा पर कार्यशाला में उपस्थित हैं (बायें से) डा. गिरिजा व्यास, श्री शिवराज पाटिल, सुश्री कीर्ति सिंह। (नीचे) सुश्री रंजना कुमारी, सुश्री इंदिरा जयसिंह, सुश्री सुशीला तिरिया, सुश्री सुहासिनी अली और सुश्री फ्लेविया अग्नीस।

कार्यवाही न करने और कानून का पालन न करने के लिए उत्तरदायी ठहराने के लिए विधेयक में एक नई धारा जोड़ी गई है।

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा केन्द्र को भेजे गये प्रस्ताव के सम्बन्ध में गृह मंत्री श्री शिवराज पाटिल ने बताया कि संशोधित दण्ड प्रक्रिया संहिता में विशेष रूप से एक मित्र या सम्बन्धी की उपस्थिति में पीड़ित का बयान लेने सम्बन्धी सुझावों को पहले ही विधेयक में शामिल कर लिया गया है।

उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार वीडियो टेप साक्ष्य, विभिन्न अपराधों के लिए भिन्न-भिन्न सज़ा और दोषसिद्ध करने की ज़िम्मेदारी अभियोग पक्ष की बजाय अभियुक्त पर डालने सम्बन्धी अन्य सुझावों पर अच्छी तरह विचार करने के पश्चात ही कोई निर्णय लेगी।

प्रशासनिक सुधारों के सम्बन्ध में श्री पाटिल ने कहा "मैं चाहता हूं कि पुलिस में महिलाओं की संख्या कम से कम 10 प्रतिशत हो। इसके साथ हर पुलिस गश्ती गाड़ी में महिला पुलिस कार्मिक होने चाहिएं। पुलिस को एक उचित और संवेदी ढंग से यौन प्रहार के मामलों की छानबीन करने का प्रशिक्षण दिया जायेगा।"

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन करने का सुझाव दिया गया है वे इस प्रकार हैं :

- बलात्कार की परिभाषा का विस्तार किया जाए और इसे यौनिक प्रवेश तक सीमित न रखा जाए।
- यौन प्रहार के लिए कम से कम 10 वर्ष और अधिक से अधिक आजीवन कारावास की सज़ा दी जानी चाहिए।
- अपहरण एवं बलात्कार के मामलों में आयु पर अधिक सावधानी से विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि बलात्कारी विद्यमान कानून का प्रायः दुरुपयोग करते हैं।
- (यौन कर्मकारों से) यौन अनुमोदन की खरीद को भी यौन प्रहार समझा जाना चाहिए।
- पीड़ित के बयान की वीडियो और ऑडियो रिकार्डिं को न्यायालय में साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए ताकि उसे उलझाने वाली जिरह से बचाया जा सके।
- छानबीन और पीड़ित की सुनवाई एक समय-सीमा के भीतर पूरी की जानी चाहिए और कोई गलती होती है तो उसके लिए लोक-सेवकों को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए।

दहेज प्रतिषेध अधिनियम की पुनरीक्षा पर सम्मेलन

दहेज उत्पीड़न और दहेज मृत्यु के मामलों की बढ़ती संख्या पर काफी चिन्तित होने पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने हाल ही में नई दिल्ली में 'दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 और संगत विधियों में संशोधन' पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। राज्य महिला आयोगों की अध्यक्षाओं, पुलिस महानिदेशकों, वकीलों, गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा डा. गिरिजा व्यास ने कहा कि विद्यमान कानून में दहेज की परिभाषा बहुत सीमित है क्योंकि इसमें इस बात का उल्लेख नहीं है कि विवाह के पश्चात की गई मांगों को दहेज की संज्ञा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त उपहारों के रूप में दी गई तथा दहेज के रूप में दी गई मूल्यवान वस्तुओं के बीच अन्तर करना भी एक समस्या है।

उन्होंने आगे कहा कि दहेज प्रतिषेध कानून दहेज के विरुद्ध एक अत्यन्त कारगर हथियार है और इस कारण इसे बनाये रखा जाना चाहिए किन्तु इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रक्रियात्मक परिवर्तनों पर विचार किया जाना चाहिए।

राज्य आयोगों को इस मुद्दे पर विचार-विमर्श करने और राष्ट्रीय महिला आयोग को अपनी सिफारिशें भेजने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया गया है। जहां तक धारा 498क का सम्बन्ध है, जो एक महिला के पति अथवा ससुराल द्वारा उसके उत्पीड़न अथवा उसके प्रति क्रूरता के बारे में है और जो एक गैर-जमानती और गैर-शमनीय अपराध है, राष्ट्रीय महिला आयोग महसूस करता है कि यद्यपि इसके दुरुपयोग के बारे में शिकायतें आ रही हैं, इसे हल्का नहीं किया जाना चाहिए।

सम्मेलन में निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दे उठाये गये:

- अधिनियम तथा शिकायतें दर्ज करने की प्रक्रिया को जनता-अनुकूल तथा पीड़ित-अनुकूल बनाया जाना चाहिए।
- इस अधिनियम के तहत दहेज प्रतिषेध अधिकारियों को अलग से काम करना चाहिए और विद्यमान सरकारी अधिकारियों को अतिरिक्त तथा अनुषंगी जिम्मेदारी के रूप में यह काम नहीं सौपा जाना चाहिए। दहेज प्रतिषेध अधिकारियों की नियुक्ति सम्बन्धी अधिसूचना का व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए और इसकी जानकारी आम जनता को दी जानी चाहिए।
- बदलते समय को ध्यान में रखते हुए जिसमें लालची ससुराल ने वर्तमान कानूनों के फंदे से बचने के लिये नये तरीके ढूंढ लिये हैं, दहेज-विरोधी कानूनों में व्यापक संशोधन किये जाने चाहिए।
- विधानमंडलों के सदस्यों तथा सरकारी कर्मचारियों के इस आशय की अनिवार्य घोषणा पर हस्ताक्षर करवाये जाने चाहिए कि उन्होंने अपनी औलाद के विवाह के समय दहेज की मांग नहीं की है।
- सार्वजनिक पदों पर आसीन पुरुषों तथा महिलाओं को सम्पत्ति के अशिष्ट प्रदर्शन के बिना विवाहों का आयोजन करना चाहिए।
- एक महिला को, जिसने अपने ससुराल पर दहेज उत्पीड़न के आरोप लगाये हैं, उस स्थान पर न्यायालय में जाने की छूट होनी चाहिए जहां उसके मां-बाप रहते हैं।
- हिरासत में मृत्यु सम्बन्धी दिशानिर्देशों के अनुरूप दहेज मृत्यु के मामलों की छानबीन करने के लिए भी पुलिस को सख्त निर्देश जारी किये जाने चाहिए।

डा. गिरिजा व्यास सम्मेलन को सम्बोधित करती हुईं। (नीचे) सम्मेलन में भाग लेने वालों का एक दृश्य

सदस्यों के दौरे

- सदस्या सुश्री सुशीला तिरिया ने एक महिला के पांच पुरुषों द्वारा तथाकथित सामूहिक बलात्कार की छानबीन करने के लिए मध्य प्रदेश के रीवा नगर का दौरा किया। उन्होंने सिफारिश की कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिए और पीड़ित का ठीक ढंग से पुनर्वास किया जाना चाहिए।

  सुश्री तिरिया ने 8 से 21 अक्तूबर तक उड़ीसा का दौरा किया। उन्होंने भुवनेश्वर में गैर-सरकारी संगठनों के साथ एक बैठक की। तत्पश्चात् उन्होंने वारीपाडा के लिए प्रस्थान किया जहां उन्होंने दलित और पिछड़ी महिलाओं की समस्याओं पर जिला अधिकारियों के साथ बातचीत की। बारीपाडा में उन्होंने एक पन्द्रह वर्षीय कन्या के सामूहिक बलात्कार के मामले में पूछताछ की और पीड़ित को मुआवज़ा देने की सिफारिश की। इसके अतिरिक्त उन्होंने जिला बंदीगृह में महिला बंदियों से भी मुलाकात की और उनकी शिकायतों को सुना।

  तत्पश्चात् उन्होंने शाल और बाबुल के पत्तों से तश्तरी बनाने के काम में संलग्न महिलाओं पर एक जन-सुनवाई में भाग लेने के लिए बेतनाती का दौरा किया। सुश्री तिरिया ने ज्योत्सना गागोरिया की मृत्यु की घटना की जांच करने के लिए तगाविल्ला का भी दौरा किया और वहां उन्होंने स्थानीय महिलाओं की समस्याओं को सुनने के लिए आयोजित एक जन-सुनवाई में भी भाग लिया।

  सुश्री तिरिया ने अपने आप को भगवान मानने वाले एक व्यक्ति द्वारा महिलाओं के कथित यौन शोषण की जांच करने के लिए इन्दौर का दौरा किया।

- सदस्या सुश्री मालिनी भट्टाचार्य ने वीरभूम जिले के बोंडंगा गांव की महिलाओं से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं के बारे में पूछा। तत्पश्चात् उन्होंने एक अवयस्क लड़की के बलात्कार के मामले का अनुसरण करने के लिए बिधान नगर उत्तरी थाना का दौरा किया। सुश्री भट्टाचार्य ने जयन्ती बाला दास के मामले का, जिसका कथित रूप से सुरक्षा बल के कार्मिक द्वारा बलात्कार किया गया, अनुसरण करने के लिए प्रेजीडेन्सी जेल का भी दौरा किया।

  सुश्री भट्टाचार्य और सदस्या निर्मला वेंकटेश ने चार पुरुषों द्वारा एक कन्या के सामूहिक बलात्कार के मामले की छानबीन करने के लिए सब्जी मंडी थाना का दौरा किया। उन्होंने सिफारिश की कि आरोप-पत्र दायर करने में कोई विलम्ब नहीं होना चाहिए और इस लड़की के पुनर्वास के लिए सभी उपाय किये जाने चाहिए।

  सुश्री भट्टाचार्य और सदस्या नीवा कंवर ने हापुड, जिला गाजियाबाद में स्थित कस्तूरबा गांधी विद्यालय के छात्रावास में छात्राओं के साथ कथित अभद्र व्यवहार के मामले की पूछताछ की।

  सुश्री भट्टाचार्य ने महिला अध्ययन शोध केन्द्र, कोलकाता विश्वविद्यालय का दौरा किया और दल के सदस्यों के साथ कोलकाता महानगर क्षेत्र में पी.एन.डी.टी. अधिनियम पर विचार-विमर्श किया।

  वह कोलकाता से इम्फाल गईं और कुछ गैर-सरकारी संगठनों के साथ एक बैठक का आयोजन किया। तत्पश्चात् उन्होंने क्रमशः इम्फाल और चूराचांदपुर स्थित आई.सी.डी.एस. केन्द्र का निरीक्षण किया। उन्होंने चूराचांदपुर स्थित एक आंगनवाडी केन्द्र और इम्फाल स्थित इमा बाजार का भी दौरा किया।

- सदस्या नीवा कंवर ने मारवाडी महिला समाज द्वारा आयोजित नवरात्रि त्योहार में भाग लेने के लिए गुवाहाटी का दौरा किया। तत्पश्चात् उन्होंने सोनापुर जिले के गैर-सरकारी संगठनों के साथ, जो महिलाओं के कल्याण के लिए काम करते हैं, आपस में विचारों के आदान-प्रदान के लिए आयोजित एक बैठक में भाग लिया। तत्पश्चात् उन्होंने ललित भराली कॉलेज, मालागांव, के महिला अध्ययन केन्द्र के निदेशक से मुलाकात की। इस मुलाकात के पश्चात् उन्होंने कॉलेज की छात्राओं के साथ आपस में विचारों के आदान-प्रदान के लिए आयोजित एक बैठक में भाग लिया।

  सुश्री कंवर ने "पूर्वोत्तर में दरबारों और स्थानीय ग्रामीण परिषदों में महिलाओं के लिए आरक्षण और उनके प्रभावी क्रियान्वयन" पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में भाग लेने के लिए शिलांग का दौरा किया।

- सदस्या निर्मला वेंकटेश ने बंगलौर का दौरा किया और एन. मीना की मृत्यु के बारे में पूछताछ की जिसकी कथित रूप से पति और ससुराल द्वारा दहेज उत्पीड़न के कारण मृत्यु हुई। उन्होंने श्रीमती जयंती रामदास के पति द्वारा उसकी हत्या के प्रयास के मामले की भी छानबीन की। उन्होंने पुलिस को आवश्यक कार्यवाही करने का भी आदेश दिया।

  सुश्री वेंकटेश ने सफदरजंग अस्पताल में एक महिला के कथित बलात्कार के मामले की भी जांच की और महिलाओं के लिए सुरक्षा बढ़ाने का सुझाव दिया। सुश्री वेंकटेश ने यह सिफारिश भी की कि अस्पताल द्वारा पीड़ित को मुआवजा दिया जाना चाहिए। सुश्री वेंकटेश ने वसंतकुंज में एक महिला के सामूहिक बलात्कार के मामले की भी जांच की। उन्होंने सिफारिश की कि आरोप-पत्र दायर करने में कोई विलम्ब नहीं होना चाहिए और पीड़ित को मुआवजा दिया जाना चाहिए।

शिकायत प्रकोष्ठ से

- एक मुसलमान महिला आयोग के पास आई और कहा कि उसकी ज़ाकिर हुसैन नामक एक व्यक्ति से (नाम बदल दिया गया है), जो एक सरकारी विद्यालय में अध्यापक है, 7 जून, 2005 को शादी हुई थी। विवाह का आयोजन पारिवारिक मित्रों के माध्यम से किया गया था और इस कारण उसके बूढ़े मां-बाप ने कोई जांच-पड़ताल नहीं की। उसके विवाह के दूसरे दिन उसके पति ने उसे बताया कि वह पहले ही विवाहित है और उसके तीन बच्चे हैं किन्तु वह अपनी नई पत्नी के साथ रहेगा क्योंकि उसके अपनी पहली पत्नी के साथ अच्छे सम्बन्ध नहीं हैं।

  उसके बाद शिकायतकर्ता दो महीने एक किराये के मकान में रही। तथापि, दो महीने के पश्चात् अपनी पहली पत्नी के साथ उसके पति के सम्बन्धों में सुधार होने के कारण उसके पति ने उसका उत्पीड़न शुरू कर दिया औ उसे छोड़कर अपनी पहली पत्नी और बच्चों के साथ रहना आरम्भ कर दिया।

  आयोग ने इस मामले का संज्ञान करते हुए दोनों पक्षकारों को बुलाया। आयोग द्वारा हस्तक्षेप किये जाने पर पति आपसी समझौते के आधार पर इस मामले को निपटाने के लिए सहमत हो गया। आयोग से शिकायत करने से पूर्व शिकायतकर्ता का पति उसे तलाक दे चुका था। पति ने शिकायतकर्ता को डा. गिरिजा व्यास, आयोग की अध्यक्षा, के कार्यालय में 30.10.2005 को 1,80,000 रुपये का एक ड्राफ्ट पेश किया।

बलात्कार पीड़ितों के लिए मुफ्त कानूनी सलाह

दिल्ली महिला आयोग के सौजन्य से अब बलात्कार पीड़ितों को मुफ्त कानूनी सलाह उपलब्ध होगी। कानूनी प्रकोष्ठ में सलाह और आवश्यक सहायता देने के लिए अन्य व्यक्तियों के साथ उच्चतम न्यायालय के एक अनुभवी वकील की नियुक्ति की गई है।

मुकदमे में अभियोक्ता की मदद करने, अभियुक्त की जमानत की अर्जी का विरोध करने, प्राथमिकी दर्ज होने के समय से ही दण्ड प्रक्रिया के तहत बयान दर्ज करने में मदद के लिए पीड़ित को वकील उपलब्ध कराये जायेंगे।

अधिक जानकारी के लिए देखें हमारी वेबसाइट : **www.ncw.nic.in**

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4 - दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। आकांक्षा इम्प्रेशन, न्यू रोहतक रोड, सराय रोहिल्ला, नई दिल्ली-110005 में मुद्रित। सम्पादक : गौरी सेन